<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>प्रकरण संख्या– 35/2017</u>

1. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 श्रवण कुमार जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. रामप्यारी जोजा हेतराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर ।
2. रामसिंह पुत्र रामप्यारी जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र रामप्यारी जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. बनवारी पुत्र रामप्यारी जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, नोहर।

–असल रेस्पोडेन्ट

6. कृष्णा देवी पत्नी स्व0 श्रवण कुमार जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4

<u>निर्णय</u> दिनांकः– 12.08.2024

अपीलांट सुरेश कुमार पुत्र स्व0 श्रवण कुमार जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर द्वारा विरूद्व नामान्तरण आदेश दिनांक 03.05.2017 नामान्तरण सं0 341 रोही मौजा 12 जीजीएम, जिसकी रूह से नामान्तरण स्वीकृत किया गया को, अपास्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलाधीन नामान्तरण सं0 341 दिनांक 03.05.2017 रोही मौजा चक नं0 12 जीजीएम तहसील नोहर विधि विरूद्व एवं गैर कानुनी रूप से पारित किया गया है, अपास्तीनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2. रोही मौजा चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के खाता सं0 42/42, 43 की कुल तादादी 23.2760 हैक्ट भूमि स्थित है, जिसमें से स।युक्त तौर से 500 हिस्से की रेस्पो0 सं0 1 खातेदार काश्तकार थी एवं रेस्पो0 सं0 1 ने अपने नाम दर्ज 500 हिस्से में से 250 हिस्से जरिये बैयनामा दिनांक 06.02.2003 को अपीलान्ट को 90 हिस्से एवं तरतीबी रेस्पो0 सं0 6 को 160 हिस्सा का करवा दिया तथा वाद भूमि अपीलान्ट सुरेश एवं तरतीबी रेस्पो0 सं0 6 की रजि0 बैयनामा से खरीद शुद्वा भूमि है तथा मिन अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पो0 सं0 6 के कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं मुताबिक बैयनामा के आधार पर रोही मौजा चक बदस्तुर नं0 12 जीजीएम तहसील नोहर का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया। फोटा प्रति नामान्तरण रोही मौजा चक नं0 12 जीजीएम सलग्न अपील मिमो है।

3. मुताबिक बैयनामा के आधार पर रोही मौजा चक नं0 12 जीजीएम तहसील नोहर के की 250 हिस्सा भूमि अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पो0 सं0 6 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। यह कि उक्त बैयनामा दिनाक 06.02.2003 के आधार पर नामान्तरण दर्ज कर दिया गया एवं पटवारी हल्का द्वारा रोही मौजा चक नं0 12 जीजीएम की जमाबन्दी में नामान्तरण सव 136 दिनांक 05.06.2003 के आधार पर अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पो0 सं0 6 का मुताबिक बैयनामा के अनुसार अंकन नही किया एवं पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पो0 सं0 6 द्वारा खरीद शुद्वा भूमि का मुताबिक बैयनामा के अनुसार जमाबन्दी में अंकन नही किया।

4. रेस्पो0 सं0 1 द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व रेकार्ड में एक वाद मय प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वाद भूमि में रोही मौजा चक नं0 12 जीजीएम के खाता सं0 36/32 की 95 किता की भूमि में 250 हिस्सा सायल को गैरसायल सं0 1 व 2 राजस्व रेकार्ड में नामान्तरण दर्ज ना करवाये एवं वाद भूमि अन्यत्र रहन, बैय नही को व मौका की यथास्थिति बनाये रखे तथा बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टीएक्ट दिनांक 15.01.2013 को माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर द्वारा खारीज फरमा दिया गया एवं बअनवानी दावा रामप्यारी बनाम कृष्णा दिनांक 12.4.2017 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है।

जिला कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:16 IST
Reason: SelfAttested

5. रेस्पो0 सं0 1 द्वारा पूर्व में [illegible] पक्षकार होने के वाबजुद भी एक अन्य वाद रामप्यारी [illegible] जिसमें अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पो0 सं0 6 को पक्षकार नही बनाया [illegible] एवं अपीलान्ट द्वारा आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर बाद सुनवाई माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पक्षकार सयोजित किया गया। चुंकि एवं ही कृषि भूमि से सम्बधित दो

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद रेस्पो0 सं0 1 द्वारा एक ही न्यायालय में पेश किये गये चुंकि मात्र में वाद रेस्पो0 सं0 1 द्वारा अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पो0 सं0 6 की खरीद शुद्वा भूमि जमाबन्दी में अंकन न ही होने के कारण पेश किये जाते रहे ताकि नामान्तरण के अनुसार खरीद शुद्वा भूमि का जमाबदी मे अंकन नही हो पाये।

6. रेस्पो0 सं0 1 पुत्रगण द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकरी राजस्व नोहर में व अनवानी रामसिंह बनाम रामप्यारी वाद पेश किया, जिसमें रामप्यारी पुत्री बादो यानि रेस्पो0 सं0 1 द्वारा इकबाल दावा पेश किया गया है तथा रेस्पो0 सं0 1 के पुत्र व पुत्रीयान द्वारा रोही मोजा चक नं0 12 जीजीएम के खाता सं0 43/46 की कुल तादादी 23.2760 हैक्ट भूमि मे से 500 हिस्से में अपना हक व हिस्सा की घोषणा करवाने एवं रेस्पो. सं0 1 का नाम कलमजन करवाने की घोषणा हेतु पेश किया एवं जिसमें रेस्पो0 सं0 1 दिया जाना एवं फिर 20.03.13 को बहस सुनी जानी जाकर जाना अपने आप में आश्चर्यजनक है एवं रेस्पो0 सं0 1 द्वारा दिनांक 08.03.2017 को राजीनामा तस्दीक किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप सें अंकित किया कि हमारी माता रामप्यारी के नाम 250 हिस्सा पैतृक भूमि है जिसमें हमारी माता के साथ हिस्सा बनता है एवं प्रतिवादीगण सं0 1 का नाम कलमजनन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 के नाम ब.हि.ब दर्ज किया जावे एवं माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2017 को वाद वादी डिक्री कर दिया जाता है एवं फिर दावा में 151 – 152 सीपीसी का प्रार्थना पत्र देकर प्रतिवादी सं0 2 ता 7 को पुत्र व पुत्रीयान बादो की जगह रामप्यारी हेतु संशोधन करने हेतु निवेदन किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं0 1 रामप्यारी पुत्री बादो की जगह रामप्यारी जोजा हेतराम स्वंत ही संशोधित कर दिया जाता है एवं माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी के रेस्पो0 सं0 1 द्वारा रामप्यारी बनाम मातुराम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट में स्वय़ द्वारा स्थगन आदेश जारी करवाया हुआ था फिर भी स्वंय द्वारा बैयनामा एवं स्थगन का ज्ञान होने के बावजुद इकबाल दावा पेश किया जाकर वाद वादी डिक्री करवा लिया जाता है ऐसी अपने आप में अकृत एवं शुन्य डिक्री के आधार गलत तोर से नामान्तरण दर्ज करवा लिया है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण शुन्य एवं अकृत के आधार होने से [illegible] पुत्रगण व पुत्रीयान को ज्ञान था कि 250 हिस्सा कृषि भूमि अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पो0 सं0 को बैय की जा चुकी है, फिर भी न्यायालय में तृतीय वाद पेश [illegible] सुरभि सन्धि कर वाद वादी डिक्री करवा लिया गया एवं ऐसी अकृत एवं शुन्य डिक्री के आधार पर नामान्तरण सं0 341 स्वीकृत करवा लिया, जो कि कतई शुन्य एवं विधि की अवहेलना में दर्ज किया गया है जो अपास्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:16 IST
Reason: SelfAttested

7. माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर में जैरकार वाद रामसिंह बनाम रामप्यारी की फर्दे अहकाम से ही स्पष्ट कि दिनांक 08.03.2017 को प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने इकबाल दावा पेश किया फिर दिनांक 15.3.2017 को प्रतिवाद सं0 4 ने इकबाल दावा पेश किया एवं पत्रावली में साथ्य हेतु न रखी जाकर दिनांक 21.03.2017 को बहस हेतु पेश के लिए फर्दे अहकाम में तारीख पेशी निर्धारित की गई एवं दिनां 21.03.17 को फर्दे अहकाम से स्पष्ट है कि बहस हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 20.03.2017 को पेश हो यानि दिनांक 21.03.2017 को पिछे की तारीख पेशी निर्धारित की गई। अत्यन्त आश्चर्यजनक फर्दे अहकाम अंकित की गई है न ही वादी द्वारा तारीख पेशी छोटी करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है एवं आगामी तारीख पेशी देकर पीछे की तारीख पेशी है।

8. अपीलाधीन नामान्तरण तथा तथाकथित निर्णय व डिकी का पूर्व में अपीलान्ट को कोई ज्ञान नही था तथा अपीलान्ट ने जमाबन्दी हाल में डिक्री के आधार पर नामान्तरण दर्ज होने का पता चला तो पटवारी हल्का से अगले दिन दिनांक 02.8.2017 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना किसी देरी अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर रहा है तथा रेस्पो० स० 1 को बैयनामा स्वंय करवाया हुआ था फिर माननीय न्यायालय में इकबाल दावा पेश करना एवं 500 हिस्से की डिकी जारी करवाना विधि की अवहेलना मे पारित किया गया है इसलिए तथाकथित डिक्री के आधार पर नामान्तरण विधि की अवहेलना है तथा अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद है।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री मांगेराम गोदारा एडवोकेट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को अधिवक्ता अपीलांट द्वारा तर्क किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ निवेदन किया कि न्यायालय गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नें अपनी बहस में कथन किया कि उक्त अपीलाधीन नामान्तरण में दर्ज भूमि हमारी खुद की निर्वविवाद भूमि है तथा रामप्यारी के नाम भूमि दर्ज थी। रामप्यारी का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में भूमि बाबत दावा चल रहा था, जो मुताबिक राजीनामा डिक्री कर दिया गया था सो भूमि रामप्यारी के वारीसों के नाम मुताबिक डिक्री दर्ज कर दिया गया है। अगर अपीलांट को उक्त नामान्तरण से कोई आपति है तो डिक्री की अपील करनी चाहिए थी लेकिन अपीलांट द्वारा आज तक डिक्री की अपील नहीं की। हमारे नाम से नामान्तरण दर्ज किया गया है। वह डिक्री की पालना के अनुसार हुआ है, जो सही दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा नामान्तरण पत्रावली का अध्ययन किया गया। नामान्तरण संख्या 341 दिनांक 03.05.2017 को अध्ययन करनें पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा यह नामान्तरण संख्या 341 दिनांक 03.05.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा दिनांक 24.04.2017 को पारित डिक्री की पालना में दर्ज किया गया है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 24.04.2017 की पालना में नामान्तरण संख्या 341 दिनांक 03.05.2017 दर्ज किया गया है, जो कि न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 341 दिनांक 03.05.2017 को तस्दीक करनें में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा नामान्तरण पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.8.24 को सरेइजलास सुनाया गया

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:55:16 IST
Reason: SelfAttested